SAKSHEE
Digitally signed by SAKSHEE
Date: 2026.08.12 16:00:18 +0530

Witness No.......**01**....For. **अनावेदक साक्ष्य** ....Deposition taken the.... **12-08-2026**.. day of **बुधवार**..Witness's apparent age **41 वर्ष** . State on affirmation **शपथपूर्वक** my name is-.. **प्रवीण साहू** S/O......**श्री एम.एस. साहू** Occupation-**सहायक प्रबंधक (विधि विभाग)** Address--..**चोला मंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, शाखा कार्यालय पण्डरी रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)**

समय 01:20 बजे प्रारंभ

01- मैं चोला मंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जून 2025 से वर्तमान तक सहायक प्रबंधक (विधि विभाग) के पद पर पदस्थ हूं। हमारी कंपनी द्वारा नयी मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 10 बी एफ 2841 का बीमा बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तो के अधीन किया गया था जिसका पॉलिसी नंबर 3397/02815125/000/00 है। मियाद अवधि तृतीय पक्ष हेतु दिनांक 10.09.2021 से दिनांक 09.09.2026 तक प्रभावशील थी। उक्त बीमा पॉलिसी युवराज धृतलहरे के नाम से जारी की गयी है, बीमा पॉलिसी **प्र.डी.01** है।

02- प्रस्तुत प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 22.03.2024 को हुये घटना के संदर्भ में प्रस्तुत प्रकरण के आवेदक द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी.22 डब्ल्यू यू 7167 को चलाया जा रहा था उससे वाहन क्रमांक सी.जी.10 बी एफ 2841 के चालक युवराज धृतलहरे की मृत्यु हुई है। उक्त दुर्घटना दो सामान श्रेणी को दुपहिया वाहन मोटरसायकल के आपस में चलायमान स्थिति में टकरा जाने से घटित हुई है। उक्त दुर्घटना के संबंध में आवेदक सत्यप्रकाश के खिलाफ थाना-नांदघाट में काउण्टर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है जिसका अपराध क्रमांक 115/2024 है। उक्त एफ.आई.आर. की वेब कॉपी फेहरिस्त के साथ संलग्न की गयी है। उक्त दुर्घटना में आवेदक सत्यप्रकाश यादव भी समान रुप से दोषी है। अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए 1 में दोनों वाहन चालकों के खिलाफ काउण्टर एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने संबंधी तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री प्रदीप शर्मा अधिवक्ता वास्ते आवेदक–

05– यह कहना सही है कि मैं चोला मंडलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया हूं। स्वतः कहा कि आज मैं अथारिटी लेटर व आई.डी. कार्ड अपने साथ लेकर आया हूं। यह कहना सही है कि प्र.डी.01 की बीमा पॉलिसी घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी नियम एवं शर्तों के अधीन प्रभावशील थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उपरोक्त प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि उपरोक्त दुर्घटना में आवेदक सत्यप्रकाश यादव की लापरवाही से हुई है। स्वतः कहा कि उक्त दुर्घटना के संबंध में आवेदक के खिलाफ भी काउण्टर एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है एवं अंतिम प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख है।

06– यह कहना सही है कि अंतिम प्रतिवेदन व प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी गयी बाते जांच का विषय है। किसी भी न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है कि उपरोक्त दुर्घटना सत्यप्रकाश यादव की लापरवाही से घटित हुई है तथा वह दोषी है। स्वतः कहा कि क्लेम प्रकरण समरी ट्रायल श्रेणी के प्रकरण होते है तथा पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात् तैयार किये गये दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य होते है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर.के. जोशी अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 02

07– कुछ नहीं।

समय 02.00 बजे समाप्त ।

वाचित, सत्य, स्वीकृत — मेरे निर्देशन पर टंकित।

(साक्षी दीक्षित)
द्वितीय अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बेमेतरा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

(साक्षी दीक्षित)
द्वितीय अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बेमेतरा जिला–बेमेतरा (छ.ग.)